वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 206/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ

दिनांक-08.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 08.06.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रतिदिन लाखो की ऑनलाइन बेटिंग /गेम / जुआ के नाम से आर्थिक अपराध करने वाले गैंग को बैंक खाते खोलकर देने वाला एक्सिस बैंक के सहायक बैंक मैनेजर को किया गया गिरफ्तार

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध पर प्रभावी नियन्त्रण व नोडल साइबर थाना अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल साइबर क्राइम आजमगढ़ के निकट पर्यवेक्षण में साइबर थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/24 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111 BNS व 66C, 66D IT Act व 3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम की विवेचना के क्रम में एक्सिस बैंक राघव नगर देवरिया के सहायक ब्रांच मैनेजर सेल योगेश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त एक्सिस बैंक ब्रांच राघव नगर जनपद देवरिया के सहायक ब्रांच मैनेजर सेल योगेश त्रिपाठी द्वारा कम पढ़े लिखे व भोले -भाले लोगो को प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाने तथा उनको 3000-3000 रुपये नगद देकर उनको भ्रमित कर उनके नाम से खाते खोलकर खाते की सम्पूर्ण कीट खाताधारक को न देकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया जाता था। साइबर अपराधी उक्त खातो का प्रयोग मुकदमा उपरोक्त में साइबर फ्राड के लिए किया करते थे।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण:-

साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/24 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111 BNS व 66C, 66D IT Act व 3 सार्वजनिक जुआ अधिनियम की जांच के आधार पर एक्सिस बैंक ब्रांच राघव नगर जनपद देवरिया के सहायक ब्रांच मैनेजर सेल योगेश त्रिपाठी उर्फ अमित पुत्र तप्पे त्रिपाठी नि0 मल्लाह टोली वार्ड नं0 02 रुद्रपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया उ0प्र0 को पुछताछ हेतु थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ बुलाया गया था पुछताछ व संकलित साक्ष्यों से इनके द्वारा भोले-भाले कम पढे लिखे लोगो को भ्रमित करके प्रधान मंत्री योजना का लाभ दिलाने व 3000-3000 रुपये नगद देकर उनके नाम से अपने एक्सिस बैंक ब्रांच मे खाते खोलकर बिना उनकी जानकारी के उक्त खाते साइबर अपराधियों को मय कीट (एटीएम, चेकबुक, पासबुक) उपलब्ध कराते थे तथा स्वयं साइबर अपराधियों से मिलकर लाभ प्राप्त करते थे तथा साइबर अपराधी उक्त खातो का प्रयोग मुकदमा उपरोक्त में साइबर फ्राड के लिए किया करते थे सभी 30 से 35 खाते योगेश त्रिपाठी उपरोक्त की आईडी पर खुलना प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

योगेश त्रिपाठी उर्फ अमित पुत्र तप्पे त्रिपाठी नि0 मल्लाह टोली वार्ड नं0 02 रुद्रपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया उ0प्र0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

निरीक्षक/विवेचक अश्वनी कुमार यादव – (क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय आजमगढ़)